न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.70 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 237)	03.12.2024	22.04.2025

श्रीमती प्रेम बाई पत्नी कैलाशचन्द जाति ब्राहमण,
निवासी पुराना बाजार डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

– अपीलान्ट

बनाम

1. घनश्याम आ. कैलाशचन्द जाति ब्राहमण,
   निवासी पुराना बाजार डाबी, तहसील तालेडा
2. तारा पुत्री कैलाशचन्द पत्नी अभिषेक जाति ब्राहमण,
   नि. पुराना बाजार डाबी हाल निवासी देवपुरा बून्दी।
3. उर्मिला पुत्री कैलाशचन्द पत्नी रमेश जाति ब्राहमण,
   नि. डाबी हाल निवासी बिजौलिया, जिला भीलवाडा
4. मुकेशकुमार आ.कैलाशचन्द जाति ब्राहमण
   निवासी पुराना बाजार डाबी, तहसील तालेडा
5. सुरेशकुमार आ.कैलाशचन्द जाति ब्राहमण
   निवासी पुराना बाजार डाबी, तहसील तालेडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा
7. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, डाबी
8. सुनीता पुत्री कैलाशचन्द पत्नी विष्णु शर्मा जाति ब्राहमण,
   नि. पुराना बाजार डाबी हाल निवासी सीतापुरा तह.तालेडा

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 5, 8 की ओर से पेरोकार सरकार।
रेस्पो.सं. 6 व 7 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलक्टर, बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने नायब तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 23.09.1975 ग्राम डाबी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड बक्शीशनामा के आधार पर बक्शीशगृहिता के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 70/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/237 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

प्रार्थीगण राकेश, रीना, सुमित्रा, सुशीला, मन्जू पुत्री स्व.रतनलाल जाति ब्राहमण निवासी डाबी की ओर से जर्ये अभिभाषक श्री नवेद केसर लखपति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. दिनांक 23.12.2024 पेश किया जाकर प्रार्थीगण को अपील में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 04.03.2025 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थीगण अपील विषयक भूमि के हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। बाद सुनवाई उभय पक्षकारान जाहिर आया कि हस्तगत अपील में नामा.सं. 85 जिससे ग्राम डाबी की आराजी खसरा संख्या 717, 718/1, 718/2 मीन, 719, 720 के खातेदार घीसीलाल के स्थान पर बक्शीशग्रहिता कैलाशचंद का नाम दर्ज किया गया, को चुनौती दी गई है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य अपील सं. 56/2024 बउनवान राकेश बनाम प्रेमबाई वगै. में आराजी ख.सं. 965/1315, 1184/1363, 1184/1364, 1184/1365, 1184/1405 के गैर खातेदार रतनलाल के स्थान पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक विरासत के नामा. सं. 1359 को चुनौती दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों अपीलों में विवादित आराजी एवं उसके खातेदार भिन्न भिन्न है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में यह साबित करने में विफल रहे है कि हस्तगत अपील के अपीलाधीन नामा.सं. 85 में अंकित भूमि में प्रार्थीगण के हित किस प्रकार निहित है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण बाबत किसी प्रकार का आदेश पारित किये जाने पर प्रार्थीगण के हित किस प्रकार से प्रभावित होते है। ऐसे में प्रार्थीगण अपील विषयक आराजी से हितबद्ध पक्षकार प्रथमदृष्टया नहीं पाये जाने से उनको अपील में पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. अस्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का प्रकाश डालते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खु.सं. 717 रकबा 13 बिस्वा, खु.सं. 718/1 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, खु.सं. 718/2 मीन रकबा 16 बिस्वा, खु.सं. 719 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा, खु.सं. 721 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा जिसके नये खसरा सं. 1003 रकबा 1.3840 हैक्टेयर, खु.सं. 1006 रकबा 1.0198 हैक्टेयर, खु.सं. 1007 रकबा 0.0243 हैक्टेयर ग्राम डाबी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व खातेदार घीसीलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण नि. डाबी थे, जो अपीलांट के पिता स्व.कैलाशचन्द के नाना थे। घीसीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 14.7.1972 को कैलाशचंद पुत्र रतनलाल के पक्ष में पंजीबद्ध करवाया जाकर ग्राम डाबी की 15 बीघा जमीन बक्शीश कर कब्जा संभला दिया था। उक्त रजिस्टर्ड बक्शीशनामा के आधार पर ना.नं. 85 दिनांक 23.09.1975 को तस्दीक हुआ, किन्तु उक्त नामान्तरकरण के कॉलम नं. 11 के नाम कैलाशचंद पिता घीसीलाल खातेदार दर्ज कर दिया गया, जबकि कैलाशचंद पुत्र रतनलाल दर्ज किया जाना था, क्योंकि कैलाशचंद कभी भी घीसीलाल के गोद नहीं गया था, घीसीलाल द्वारा न तो कभी कोई गोदनामा निष्पादित करवाया और न ही उक्त बक्शीशनामा में गोद लिये जाने का तथ्य अंकित किया है, बल्कि घीसीलाल द्वारा कैलाशचंद के पक्ष में बक्शीशनामा निष्पादित करवाया था।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि रतनलाल पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमन के तीन पुत्र प्रकाश, शिवशंकर, कैलाश एवं तीन पुत्रियां सुमित्रा, सुशीला, मंजू तथा बेवा चांद बाई वैध वारिसान थे। कैलाश गैर खातेदार रतनलाल का बडा पुत्र है जो कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के गोद नहीं गया, न ही कोई गोदनामा निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया गया। सम्पूर्ण जीवनकाल में कैलाशचंद रतनलाल जी के पुत्र के रूप ही रहा, पिता रतनलाल जी की मृत्यु के बाद 12 दिन के कियाकर्मो को भी बतौर पुत्र सम्पन्न करवाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज बक्शीशनामा दिनांक 14.7.1972 को बिना देखे और बक्शीशग्रहिता का नाम कैलाशचंद पिता रतनलाल होने के उपरान्त भी अपीलाधीन नामान्तरकरण में कैलाशचंद के पिता का नाम घीसीलाल अंकित कर दिया गया, जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार, बिना सुनवाई का अवसर दिये नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त की अवहेलना कर आदेश पारित किया है, इस कारण उक्त नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर दिनांक 19.11.2024 को प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, जिस पर दिनांक 22.11.2024 को नकल प्राप्त होने पर उक्त नामान्तरकरण की प्रथम बार जानकारी हुई। जानकारी होने तक का समय मुजरा दिया जाकर अपील अवधि मध्य माना जाना आवश्यक है। यदि देरी मानी जावे तो उसे क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है।

जिला कलेक्टर, बूंदी

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं बक्शीशनामा के आधार पर कैलाशचंद पिता रतनलाल के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगायत 5, 8 ने बहस के दौरान अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वयं अपीलांट के पति के पक्ष में तस्दीक किया गया था। अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, क्योंकि अपीलांट द्वारा पति के खाते में दर्ज की गई उक्त आराजी पर काबिज काश्त होना बताया है। इसके बावजूद करीब 50 वर्षो बाद उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील पेश की गई, जो अवधि बाहर है। विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है जबकि मियाद अधिनियम में अपीलांट को विलम्ब का स्पष्ट रूप से दिन–प्रतिदिन का कारण बताना होता है। विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया जाकर अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा ग्राम डाबी में विस्थित आराजी खसरा सं. 717 रकबा 13 बिस्वा, ख.सं. 718/1 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, ख.सं. 718/2 मीन रकबा 06 बिस्वा, ख.सं. 719 रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा, ख.सं. 720 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा बाबत रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 14.07.72 के आधार पर नामान्तरकरण सं.85 दिनांक 23.09.1972 को तस्दीक किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जाकर उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने एवं बक्शीशनामा अनुसार पिता नाम रतनलाल दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किये जाने पर प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 14.07.1972 को तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 02.12.2024 को 49 वर्ष गुजर जाने के बाद इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 22.11.2024 को होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। किन्तु यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नामान्तरकरण अपीलांट के पति के नाम दर्ज किया गया है। अपीलांट को अपने पति के कब्जे काश्त की भूमि के राजस्व रेकार्ड की 49 साल तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह विश्वसनीय नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

जबकि किसानों को लगान अदायगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, फसल खराबा का मुआवजा इत्यादि खातेदारी रिकार्ड के अनुसार ही प्राप्त होता है। अपीलांट को दिनांक 22.11.2024 से पूर्व नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रहने का कोई कारण नहीं बताया। इस कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में जानकारी होने के बाद भी निर्धारित समयसीमा में अपील पेश नहीं करने कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, जिससे हस्तगत अपील में अत्यधिक विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बून्दी (राज.)